न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली के समक्ष

जे. सी. अग्रवाल, ***याचिकाकर्ता***

बनाम

हरियाणा राज्य परिसंघ सहकारी थोक उपभोक्ता भंडार लिमिटेड,—*उत्तरदाता*

सी. रि. या. संख्या 3103 सन् 2007

10 सितंबर, 2010

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-वेतन की बकाया राशि के लिए दावा-याचिकाकर्ता से कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया-उच्च न्यायालय ने वरिष्ठता सूची को रद्द कर दिया-याचिकाकर्ता ने अपने कनिष्ठ को पदोन्नत किए जाने की तारीख से पदोन्नति की तारीख को मंजूरी दे दी- वेतन की बकाया राशि को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में पदोन्नति पद पर काम नहीं किया था-क्या याचिकाकर्ता पदोन्नति की तारीख से वेतन के बकाया का हकदार है-अभिनिर्णित, हाँ - याचिका अनुज्ञात की गई।

अभिनिर्णित, कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को 16 फरवरी, 2001 के आदेश द्वारा अनुज्ञात की गई थी। 16 फरवरी, 2001 के फैसले को प्रतिवादी-परिसंघ द्वारा 2001 के एलपीए संख्या 2003 में चुनौती दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप बर्खास्तगी हुई। एलपीए के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से सहायक प्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया था - दिनांक 1 मार्च, 2004 के आदेश के तहत। हालांकि, याचिकाकर्ता को 23 अगस्त, 1979 से पदोन्नति की तारीख मान ली गई थी, यानी वह तारीख जब एससी जैन को पदोन्नत किया गया था, लेकिन 19 अक्टूबर, 2005 के आदेश के तहत बकाया राशि से इनकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ता 1 अक्टूबर, 2005 के आदेश से व्यथित है, जहां तक बकाया राशि से इनकार कर दिया गया है। याचिकाकर्ता को बकाया राशि से वंचित करने का एकमात्र आधार यह है कि उसने वास्तव में सहायक प्रबंधक के पद पर काम नहीं किया था और इस प्रकार, वह वेतन के बकाया का हकदार नहीं है। **हरियाणा राज्य** *बनाम* **बानी सिंह यादव, 2005 (1) एससीटी 355** के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के फैसले से विवाद पूरी तरह से विचार में लिया है।इसलिए, इस याचिका को अनुमति दी जाती है और 19 अक्टूबर, 2005 के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है, जिस हद तक उसने याचिकाकर्ता को वेतन की बकाया राशि से इनकार कर दिया है।

(पैरा 3, 4 और 6)

नमित कुमार, अधिवक्ता, *याचिकाकर्ता के लिए।*

विजय पाल, अधिवक्ता, *प्रतिवादियों को लिए।*

न्यायमूर्ति, प्रमोद कोहली। (मौखिक)

(1) याचिकाकर्ता 10 जनवरी, 1977 को हरियाणा राज्य परिसंघ का उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमिटेड (इसके बाद "परिसंघ" के रूप में संदर्भित) में के रूप में शामिल हो गया। विभिन्न केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडारों में स्टोरकीपर, सहायक, लिपिक और सेल्समैन जैसे विभिन्न पदों को उनके संबंधित प्रबंधनों द्वारा उनके अपने स्तर पर भरा जा रहा था और उनके वेतनमान और पात्रता आदि भिन्न-भिन्न थे। 23 अप्रैल, 1979 से सभी उपभोक्ता भंडारों के कर्मचारियों को परिसंघके संवर्ग में मिला दिया गया और प्रतिवादी-परिसंघ द्वारा उनके संबंधित प्रबंधन से उनका प्रशासनिक नियंत्रण ले लिया गया। मई, 1979 में, हालांकि एक अस्थायी वरिष्ठता सूची तैयार की गई थी और याचिकाकर्ता को वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 19 में रखा गया था, अन्य प्रबंधन के कुछ कर्मचारी जो सामान्य कैडर नियम के कार्यान्वयन पर परिसंघ की सेवा के सदस्य बन गए थे और कम वेतन प्राप्त कर रहे थे, उन्हें ऊपर और ऊपर रखा गया था। वह याचिकाकर्ता- परिसंघ की कार्रवाई से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने 28 दिसंबर, 1987 की वरिष्ठता सूची को चुनौती देते हुए 1987 की सीडब्ल्यूपी संख्या 3847 दायर की और याचिकाकर्ता से जूनियर एससी जैन के पदोन्नत होने की तारीख से सहायक प्रबंधक के रूप में पदोन्नति की भी मांग की। इस रिट याचिका को निम्नलिखित निर्देशों के साथ दिनांक 16 फरवरी, 2001 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी -

> "इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के लिए जूनियर के रूप में नहीं माना जा सकता है। उन्हें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा तैयार की गई वरिष्ठता सूची अनुबंध पी-5 में उन उत्तरदाताओं के बराबर होना चाहिए था।
>
> उपरोक्त कारणों से, इस रिट याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। वरिष्ठता अनुबंध पी-5 को रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 2 से 7 तक वरिष्ठ माना जाए और वरिष्ठता सूची को फिर से जारी किया जाए और तदनुसार तैयार किया जाए "

(2) जहां तक पदोन्नति के दावे का संबंध है, निम्नलिखित निदेश जारी किए गए थे -

> "जहां तक उनके कनिष्ठ को पदोन्नत किए जाने की तारीख से उन्हें सहायक प्रबंधक के पद पर पदोन्नत करने की उनकी प्रार्थना का संबंध है, इसे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विचार करने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 के अनुसार उनके पास पांच साल का अनुभव नहीं था जब आरआर कौशिक को 4 फरवरी, 1981 को सहायक प्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता पदोन्नति के अपने दावे के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने के लिए

स्वतंत्र होगा, जिस पर प्रतिनिधित्व दाखिल करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर विचार किया जाएगा।

(3) पूर्वोक्त निर्णय को प्रतिवादी-परिसंघ द्वारा 2001 के ऐलपीए संख्या 2003 में चुनौती दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप बर्खास्तगी हुई। एलपीए के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से सहायक प्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया था - दिनांक 1 मार्च, 2004 के आदेश (अनुबंध पी-2) के तहत। हालांकि, याचिकाकर्ता को 23 अगस्त, 1979 से पदोन्नति की तारीख मान ली गई थी, यानी जिस तारीख को एससी जैन को पदोन्नत किया गया था, लेकिन बकाया राशि से इनकार कर दिया गया था - दिनांक 19 अक्टूबर, 2005 (अनुलग्नक पी -4) के आदेश के तहत। याचिकाकर्ता 19 अक्टूबर, 2005 के आदेश (अनुलग्नक पी -4) से व्यथित है, जिस हद तक बकाया राशि से इनकार किया जाता है। याचिकाकर्ता को बकाया राशि से वंचित करने का एकमात्र आधार यह है कि उसने वास्तव में सहायक प्रबंधक के पद पर काम नहीं किया था और इस प्रकार, वह वेतन के बकाया का हकदार नहीं है।

(4) पक्षकारों के विद्वक अधिवक्ता द्वारा यह सहमति व्यक्त की जाती है कि **हरियाणा राज्य बनाम बानी सिंह यादव (1)** के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के फैसले में विवाद पूरी तरह से कवर किया गया है **,** जिसमें निम्नलिखित अभिकथित किया:

> "14. इस मामले के तथ्यों के लिए उपर्युक्त निर्णयों और आदेशों के अनुपात को लागू करके, हम मानते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह घोषित करके कोई त्रुटि नहीं की कि अपीलकर्ता अपने स्वयं के गलत का लाभ नहीं उठा सकता है और 6 सितंबर, 1985 के आदेश को रद्द करके 5 फरवरी 1974 से 7 फरवरी, 1979 से अवधि के लिए प्रतिवादी को वेतन और भत्ते के बकाया से इनकार करने की सीमा तक।"

(5) **करनैल सिंह** *बनाम* **पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य (2)** के मामले में इस न्यायालय की एक अन्य खंडपीठ द्वारा इसी प्रकार की टिप्पणियां की गई हैं -

> "7. इसलिए, उचित समय पर याचिकाकर्ता की पदोन्नति के मामले पर विचार करने में अधिकारियों की विफलता और परिणामस्वरूप उसे काम करने से रोकना और विभागीय कार्यवाही लंबित होने की स्थिति में सीलबंद कवर प्रक्रिया का विकल्प नहीं चुनने के लिए, याचिकाकर्ता को आंतरिक लेखा परीक्षक के उच्च पदों के मौद्रिक लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता है, जिसे पदोन्नति की तारीख के माध्यम से पहले ही पदोन्नति दी जा चुकी है।"

(1) 2005 (1) S.C.T. 355
(2) 2006 (3) S.C.T. 276

(6) उपर्युक्त के मद्देनजर, इस याचिका को अनुमति दी जाती है और दिनांक 19 अक्टूबर, 2005 के आक्षेपित आदेश (अनुबंध पी-4) को इस हद तक अस्वीकार कर दिया गया है कि याचिकाकर्ता को वेतन की बकाया राशि रद्द की जाती है। नतीजतन, प्रतिवादी को तीन महीने की अवधि के भीतर पदोन्नति की तारीख से याचिकाकर्ता को वेतन की बकाया राशि जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण: *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।*

रूहेला
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा